

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग
चिकित्सा शिक्षा भवन पिक स्कवाईर मॉल के पास गोविन्द मार्ग जयपुर
ई-मेल adddir.medicaledu@rajasthan.gov.in

No. F.7(83)/RMC/Dme/Acad/2022-06712/

Date:-

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक,
चिकित्सा महाविद्यालय,
जयपुर/जोधपुर/कोटा/
बीकानेर/अजमेर/उदयपुर।

प्रधानाचार्य
समस्त राजमेस मेडिकल कॉलेज

प्रधानाचार्य
राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर

रजिस्ट्रार/प्रधानाचार्य,
समस्त प्राइवेट मेडिकल कॉलेज

विषय—चिकित्सकों के पंजीयन हेतु दस्तावेज सत्यापन के संबंध में।

प्रसंग— रजिस्ट्रार, राजस्थान मेडिकल कौंसिल जयपुर का पत्र क्रमांक 9998 दिनांक 17.02.2025 के क्रम में।

उपरोक्त विषयांतर्गत प्रासांगिक पत्र के क्रम में राजस्थान मेडिकल कौंसिल के द्वारा प्रेषित पत्र की प्रति संलग्न कर पत्र में वर्णितानुसार चिकित्सकों के पंजीयन/आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्धारित प्रारूप में सूचना तैयार करवा कर सीधे ही राजस्थान मेडिकल कौंसिल की मेल आई डी rajmedcouncil.ragistrar@rajasthan.gov.in पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करने का श्रम करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार वर्णित।

अतिरिक्त निदेशक (एकेडमिक)
निदेशालय चिकित्सा शिक्षा

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. निजी सहायक—आयुक्त चिकित्सा शिक्षा विभाग जयपुर
2. रजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर
3. रजिस्ट्रार राजस्थान मेडिकल कौंसिल जयपुर को उनके पत्र क्रमांक 9998 दिनांक 17.02.2025 के क्रम में।
4. अति. निदेशक (एके.) राजमेस मुख्यालय को भेज कर देखा है कि उपरोक्त वर्णितानुसार आपके अधीन चिकित्सा महाविद्यालयों को सूचित करने का श्रम करायें।
5. रक्षित पत्रावली



Digitally signed by Rashmi Gupta
Designation: Professor
Date: 2025.02.19 17:58:47 IST
Reason: Approver



राजस्थान आयुर्विज्ञान परिषद RAJASTHAN MEDICAL COUNCIL

सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302001(राज0)

Sardar Patel Marg, C-Scheme, Jaipur-302001(Raj.)

Visit us at: rmcjalpur.org दूरभाष / Phone No.-0141-2225102, 2221734 ई-मेल / E-mail:- rajmedcouncil@yahoo.in

क्रमांक:- आर.एम.सी./2025/9998

दिनांक 17/02/25

स्मरण पत्र -प्रथम

आयुक्त,
चिकित्सा एवं शिक्षा विभाग,
जयपुर राजस्थान।

विषय:- चिकित्सकों के पंजीयन हेतु दस्तावेज सत्यापन के सम्बंध में।
संदर्भ:- इस कार्यालय के पत्र क्रमांक आर.एम.सी./2024/9817 दिनांक 18.12.2024 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निर्देशानुसार लेख हैं कि राजस्थान मेडिकल कौंसिल के द्वारा चिकित्सकों का अस्थाई, स्थाई एवं अतिरिक्त योग्यता का पंजीयन किया जाता है। वर्तमान परिपेक्ष्य में राजस्थान मेडिकल कौंसिल के द्वारा चिकित्सक का पंजीयन ऑनलाईन माध्यम से किया जाता है। प्रायोगिक प्रेक्टिकल तौर पर राजस्थान राज्य में चिकित्सक को अपने पंजीयन के समस्त दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन करने हेतु राजस्थान मेडिकल कौंसिल में आना पड़ता है, इसके पश्चात ही इनके पंजीयन की प्रकिया प्रारम्भ होती है।

चिकित्सक का एम.बी.बी.एस पासआऊट बैच आने पर अस्थाई पंजीयन, इन्टर्नशीप करने के पश्चात स्थाई पंजीयन तथा अतिरिक्त योग्यता के परिणाम निकलने पर राजस्थान के विभिन्न जिलों के बहुत ही अधिक तादात में चिकित्सक अपना पंजीयन कराने राजस्थान मेडिकल कौंसिल में उपस्थित होते हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि चिकित्सक का आवेदन फॉर्म सहित संबंधित कॉलेज से निम्न प्रारूप में तैयार करवा कर प्रवेश सूची व उत्तीर्ण सूची के साथ में संलग्न कर राजस्थान मेडिकल कौंसिल की ई-मेल आडी rajmedcouncil.registrar@rajasthan.gov.in & Rajmedcouncil@yahoo.in पर भिजवाने का श्रम करावें जिससे पंजीयन का कार्य समय पर किया जायें:-

1. Provisional Registration Details :-

S. N.	RMC Application Form No.	Name	Father Name	Admi. Year	Passing Year	Enrollment No.	Result	Remark'
-------	--------------------------	------	-------------	------------	--------------	----------------	--------	---------

2. Permanent Registration Details:-

S. N.	RMC Application Form No.	RMC Provisional Reg. No.	Name	Father Name	Admi. Year	Passing Year	Result	Remark's
-------	--------------------------	--------------------------	------	-------------	------------	--------------	--------	----------

3. Additional Qualification Registration Details:-

S. N.	RMC Application Form No.	RMC Permanent Reg. No.	Name	Father Name	Admi. Year	Passing Year	Cours Name	Result	Rem ark's
-------	--------------------------	------------------------	------	-------------	------------	--------------	------------	--------	-----------

(डॉ. गिरधर मोपाल गोयल)

रजिस्ट्रार

राजस्थान मेडिकल कौंसिल

जयपुर।

दिनांक 17/02/25

क्रमांक:- आर.एम.सी./2024/9998
प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख शासन सचिव महोदय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जयपुर, राजस्थान।
2. निदेशक(जन स्वास्थ्य) चिकित्सा, एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर, राजस्थान।
3. अतिरिक्त निदेशक (एकेडमिक), चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, समस्त राजकीय मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, समस्त नीजी मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
6. रजिस्ट्रार, समस्त नीजी मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
7. रजिस्ट्रार, समस्त राजकीय मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
8. रक्षित पत्रावली।

रजिस्ट्रार

राजस्थान मेडिकल कौंसिल
जयपुर।